

**उत्तराखण्ड शासन**  
**माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2**  
 संख्या- /XXIV-2/2019-12(01)/2015  
 देहरादून : दिनांक 25 जून, 2019

**कार्यालय आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 के प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में शासन स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु गठित स्थायी स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण सत्र 2019-20 में विद्यालयी शिक्षा विभाग (प्रशासनिक संवर्ग) के समूह 'क' के निम्नलिखित शिक्षा अधिकारियों के अनिवार्य/अनुरोध के आधार पर अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-3 में वर्णित उनके वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-4 में वर्णित उनके नवीन तैनाती स्थानों पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

**क- संयुक्त निदेशक/समकक्ष पद**

**क(1) अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)**

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पूर्व तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री षष्ठी बल्लभ जोशी, संयुक्त निदेशक	विभागाध्यक्ष, सीमैट	प्राचार्य, डायट, बागेश्वर	जनहित
2	श्रीमती आशा रानी पैन्थूली, संयुक्त निदेशक	मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून	प्राचार्य, डायट, गोचर, चमोली	जनहित

**क(2) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण**

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पूर्व तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री दिनेश चन्द्र गौड़, संयुक्त निदेशक	मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी	विभागाध्यक्ष सीमैट/समकक्ष संयुक्त निदेशक	अनुरोध (धारा 17(1)ख (चार) के अन्तर्गत

**क(3) अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)**

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पूर्व तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री ललित मोहन चमोला, संयुक्त निदेशक	मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली	मुख्य शिक्षा अधिकारी, उधमसिंह नगर	जनहित

**ख- उप निदेशक/समकक्ष पद**  
**ख(1) अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)**

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पूर्व तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री पदमेन्द्र सकलानी, उप निदेशक	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०, उधमसिंह नगर	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०, बागेश्वर	जनहित

**ख(2) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण**

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पूर्व तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत, उप निदेशक	प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर	उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून	अनुरोध (धारा 17(1)ख (चार) के अन्तर्गत)
2	श्री कुवंर सिंह, उप निदेशक	प्रभारी प्राचार्य, डायट, गौचर, चमोली	उप निदेशक, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून	अनुरोध (धारा 17(1)ख (पांच) के अन्तर्गत)

**ख(3) अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)**

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पूर्व तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री हरेराम यादव, उप निदेशक	जिला शिक्षा अधिकारी, मा०शि०, पौड़ी	उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून	जनहित

**ग- खण्ड शिक्षा अधिकारी/समकक्ष पद**

**ग(1) अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)**

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पूर्व तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री चंदन सिंह बिष्ट, खण्ड शिक्षा अधिकारी	प्रभारी उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून	खण्ड शिक्षा अधिकारी, भैंसियाछाना, अल्मोड़ा	जनहित

**ग(2) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण**

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पूर्व तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती उमा पंवार, खण्ड शिक्षा अधिकारी	विशेषज्ञ, समग्र शिक्षा कार्यालय, देहरादून	खण्ड शिक्षा अधिकारी, डोईवाला, देहरादून	अनुरोध (धारा 17(1)ख (पांच) के अन्तर्गत)

ग(3) अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पूर्व तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री शौकत अली, खण्ड शिक्षा अधिकारी	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०, पिथौरागढ़	खण्ड शिक्षा अधिकारी, सितारगंज, उधमसिंह नगर	जनहित
2	श्री माधुलाल आर्य, खण्ड शिक्षा अधिकारी	खण्ड शिक्षा अधिकारी, खिर्सू, पौड़ी	खण्ड शिक्षा अधिकारी, कीर्तिनगर	जनहित

2- उपर्युक्त तैनाती के सम्बन्ध में स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती के स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होते हुए, ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3- जनहित में किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरित कार्मिक नियमानुसार स्थानान्तरण भत्ते हेतु अर्ह होंगे तथा अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ते हेतु अर्ह नहीं होंगे।

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)

सचिव

संख्या- 502 (1)/XXIV-2/19-12(01)/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० विद्यालयी शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, अपर सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
8. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक/अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।
10. अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक/बेसिक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
11. सम्बन्धित मुख्य, शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/बेसिक, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
12. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
13. प्रभारी, एन.आई.सी.सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गिरधर सिंह भाकुनी)

उप सचिव।